प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 181/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

Dinesh Soni Add: 42/3, moti chohatta, Udaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बड़गांव, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

कार्यालय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 20-01-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329036527877539 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 23.11.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 2511305576 दिनांक 24.12.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/181/24/1481–82 दिनांक 24.12.2024 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बड़गांव द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक सू.अ./2005/25/10 दिनांक 07.01.2025 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत चाही गई सूचना कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक 3031 दिनांक 05.12.2024 को स्पीड पोस्ट ER186718363IN को दिनांक 17.12.2024 को प्रार्थी को सूचना भिजवाई गई है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नियत 30 दिवस से पूर्व सूचित कर दिया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कराने का कष्ट करावें।

अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने जानकारी/दस्तावेज/सूचना/विवरण/दस्तावेज मांगे है, उन्हें उपलब्ध नहीं करवाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उपधारा (9) धारा (7) के अंतर्गत अपीलार्थी मांगी गई सूचना मांगे गये प्रारूप में प्राप्त करने का हकदार है, जिसे लोक सूचना अधिकार द्वारा अपीलार्थी को प्रदान करने से वंचित किया गया है।

पत्रावली को अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 05.12.2024 से जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी का कथन है कि उसे जिस प्रारूप में सूचना चाही गई थी, उस प्रारूप में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उसके द्वारा चाही गई 8 बिन्दुओं की सूचना में से केवल प्रथम 4 बिन्दुओं की सूचना ही

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

उपलब्ध करवाई गई है, शेष बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट नहीं है।

चूंकि अपीलार्थी उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। अपील अपीलार्थी इन निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती है कि अपीलार्थी चाही जा रही वांछित सूचना के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बड़गांव के कार्यालय में आदेश प्राप्ति के 21 दिन के भीतर कार्यदिवस में उपस्थित होकर चाही जा रही सूचना चिन्हित कर प्रत्यर्थी के कार्यालय से सूचना प्राप्त करें।

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बड़गांव को निर्देशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति की 21 दिवस के भीतर अपीलार्थी को चाही जा रही वांछित सूचना का चिन्हिकरण करने पर, वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बड़गांव एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर